**प्रेस विज्ञप्ति*

जनपद भदोही

दिनांक- 16.09.2026

◆ "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत भदोही पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में 03 दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹1,00,000/- अर्थदण्ड से किया गया दंडित

◆ अर्थदण्ड की 90% राशि मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों/आश्रित परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाने के निर्देश

◆ गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन/मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा सुनाया गया दण्डादेश

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अभिनव त्यागी*, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में *"ऑपरेशन कन्विक्शन"* के तहत चिन्हित एवं गंभीर अपराधों में दोषी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से अधिकतम एवं त्वरित दण्ड दिलाए जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी एवं सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना औराई पर पंजीकृत मु0अ0सं0-185/2024, धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) बीएनएस से संबंधित हत्या के अभियोग में स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की गहन विवेचना करते हुए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.08.2024 को थाना औराई क्षेत्रान्तर्गत निवासी ग्राम चकभौरा के धनेश कुमार यादव दूध देने राजापुर थाना औराई के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना पर परिजन एवं अन्य लोग मौके पर पहुंचे तथा घायल धनेश को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।घटना के संबंध में वादी द्वारा थाना औराई पर लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0-185/2024 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

उक्त अभियोग में पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष के ADGC श्री देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा प्रभावी एवं सतत पैरवी तथा साक्ष्यों के समुचित प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप आज दिनांक 16.09.2026 को श्री दुर्गेश मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा उक्त अभियोग में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण 1. पिन्टू बिंद पुत्र विजय बिंद, 2. विष्णु बिंद पुत्र गुलाब बिंद, 3. दिनेश बिंद पुत्र शीतला प्रसाद बिंद, निवासीगण ग्राम राजापुर, थाना औराई, जनपद भदोही को धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत

दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।मा0 न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की राशि में से 90 प्रतिशत राशि मृतक धनेश कुमार यादव के विधिक उत्तराधिकारियों/आश्रित परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाने तथा शेष 10 प्रतिशत राशि राजकीय खाते में जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही,अर्थदण्ड अदा न किए जाने की स्थिति में प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

भदोही पुलिस की प्रतिबद्धता

*"ऑपरेशन कन्विक्शन*" के अंतर्गत भदोही पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं प्रभावी संकलन, अभियोजन से बेहतर समन्वय तथा मा0 न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अपराधियों को उनके कृत्यों के अनुरूप न्यायालय से दण्ड दिलाया जा सके।

भदोही पुलिस – अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, न्याय के लिए सतत पैरवी।